कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक–992

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक
सभी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय
जिला–वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक–19/05/26

विषयः– सत्र 2026–27 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का उम्र सापेक्ष नामांकन सुनिश्चित करने के संबंध में ।

प्रसंगः– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1663 दिनांक–19.05.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि नए अकादमिक सत्र 2026–27 में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का उनके पोषक क्षेत्र के निकटत्तम विद्यालय में शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु संचालित नामांकन अभियान को उच्च स्तर से प्राप्त निदेश के आलोक में 31 मई 2026 तक विस्तारित किया गया है। विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि वर्ष 2025–26 की तुलना में वर्ष 2026–27 में बच्चों का पारगमन दर (Transition Rate) मे गिरावट आया है, जो अत्यंत ही चिंताजनक एवं अपेक्षा के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त स्थिति में सुधार लाने हेतु आप सभी को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाता हैः–

1. उम्र सापेक्ष नामांकन (कक्षा 1 से 8)– विद्यालय से बाहर (Out of School) रह गए 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का उनकी आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा 1 से 8 में उम्र सापेक्ष नामांकन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उम्र सापेक्ष नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रामाणिक बनाने के लिए अभिभावकों से अनिवार्य रूप से नामांकन शपथ पत्र (Undertaking) प्राप्त करें, जिसमें बच्चे की आयु और पूर्व की कक्षा का स्पष्ट विवरण हो।
2. गृहवार सर्वेक्षण (Door to Door Survey)– अपने विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से पोषक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से गृहवार सर्वेक्षण सुनिश्चित कराएं ताकि कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित नही रहे।

RABINDRA KUMAR SAH
Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.05.19 18:46:43 +05'30'

3. ई–शिक्षा कोष पर प्रविष्टि– नामांकित किए गए सभी बच्चों का विवरण ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर ससमय अद्यतन करना सुनिश्चित करें।
4. समीक्षा एवं कार्रवाई– ध्यान रहे कि जिले स्तर से विद्यालयवार नामांकन की नियमित समीक्षा की जाएगी। जिन विद्यालयों में पिछले वर्ष (2025–26) की तुलना में कम नामांकन पाया जाएगा, वहां के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कारण पृच्छा करते हुए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसे सर्वोपरि प्राथमिकता दें और निर्धारित तिथि 31 मई 2026 तक अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

RABINDRA KUMAR SAH
Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.05.19 18:48:03 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः–.....992..... हाजीपुर दिनांकः–.....19/05/26.....

प्रतिलिपिः–सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला– वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला– वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

RABINDRA KUMAR SAH
Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.05.19 18:48:14 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।